भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1176

सोमवार, 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक)

ईएसआईसी में मामलों का समयबद्ध निपटान

1176. श्री राजेश रंजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में विभागीय शास्तियों के विरूद्ध दायर की गई अपीलों के साथ-साथ वेतन वृद्धि से संबंधित मामलों की एक बड़ी संख्या विभिन्न स्तरों पर लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त लंबित अपीलों और वेतन वृद्धि के मामलों की संख्या कितनी है, तथा इनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जोकि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभागीय अपीलों और वेतन वृद्धि से संबंधित मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए कोई समय-सीमा या मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ऐसे लंबित मामलों के त्वरित, न्यायसंगत और समयबद्ध निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विभागीय शास्तियों के विरुद्ध कुल 39 अपीलें लंबित हैं। इनमें से 34 अपीलें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं और 17 अपीलें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से संबंधित हैं।

मंत्रालय द्वारा इन मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान हेतु नियमित समीक्षा की जाती है।
